अदालत जिला कलक्टर मुकाम बारां

धनराजबाई पुत्री नंदलाल मीणा पत्नी ... निo कमनखेडा बनाम कंवरबाई पत्नी सूरजमल मीणा निo सोरसन तह. बारां

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र रिव्यू (विविध) नम्बर 1 सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/9/2017	प्रार्थीयाँ ने नीचे अधिनस्थ अज न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 31/2011 वादीयती नामा अपील — धनराजबाई / कंवरबाई वगैरह में पारित आदेश दि० 15/3/2017 के संबंध में उक्त निर्णय को रिव्यू करने हेतु प्रा०पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण अधिनस्थ के दिनांक 15/3/2017 को उपस्थित हुए थे किन्तु उस वक्त श्रीमान पीठासीन अधिकारी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण बहस नहीं हो पायी थी किन्तु बाद में अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। अधिवक्ता के उपस्थित होने पर जानकारी हुई कि श्रीमान द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनकर प्रार्थीयाँ के विरुद्ध तुरन्त आदेश पारित कर दिये हैं। प्रार्थीयों के विरुद्ध एकपक्षीय बिना सुनवाई किये आदेश पारित करना C.P.C. आदेश-20 के अन्तर्गत नहीं आता है विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों को मध्यनजर रखते हुए तथा न्यायहित में श्रीमान द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दि० 15/3/17 को रिव्यू किया जाकर, विधिसम्मत सुनवाई का अवसर प्रदान कर, पुनः आदेश पारित किया जावे। हमने प्रार्थीयों द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र (रिव्यू) का आद्योपांत अवलोकन किया तथा मूल अपील में पारित आदेशिका एवं आदेश का	

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Copy Not Official

25/9/2017

अध्ययन एवं मनन किया। जिससे प्रतीत
होता है कि प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा अपील
में लगातार बहस हेतु अवसर चाहे गये
है, अभिभाषक को भी ~~[illegible]~~ कई अवसर बहस
हेतु दिये गये है, किन्तु लगातार अभिभाषक
बहस हेतु अनुपस्थित रहे है। बहस समापन
दिवस दिनांक 15/3/17 को भी अभिभाषक
को पुकार पुकार कर बहस हेतु आवाज दिलायी
गयी है, किन्तु अभिभाषक अनुपस्थित रहे है।
चूंकि आदेश दिनांक 15/3/17 से प्रकरण में
परीक्षण उपरान्त पत्रावली परीक्षण न्यायालय
तहसीलदार अटरू को प्रतिप्रेषित की गयी है।
प्रा०पत्र में प्रार्थी अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई
ठोस आधार प्रस्तुत नही किया है जिससे अपीलीय
आदेश दि० 15/3/17 को रिव्यू किया जावे।
यदि अपीलार्थी/अभिभाषक इस न्यायालय द्वारा
पारित आदेश से अप्रसन्न है तो वह सक्षम
न्यायालय मे अपील करने हेतु स्वतंत्र है। प्रा०पत्र
मे रिव्यू का कोई आधार नही है। फलस्वरूप
प्रार्थी का रिव्यू प्रा०पत्र खारिज किया जाता
है।

आदेश की प्रति तहसीलदार अटरू को
पालनार्थ भिजवायी जावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर
होकर फैसल शुमार हो तथा बाद तामील तकमील
अभिलेख भण्डार मे जमा हो। आदेश
सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

1330
30-10-17

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official